प्रेषक,

संख्या 150 /XXIV-नवसृजित/2019-09(04)/2017

आर०मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित

देहरादून: दिनांक: 6 सितम्बर अगस्त, 2019

विषय- दिनांक 01.01.2016 से संशोधित वेतन संरचना (सातवां वेतनमान) की स्वीकृति के उपरान्त, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को चयन/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सेवा-2/31691/अरा0/चयन-प्रो0 वेतनमान/2018-19 दिनांक 06.02.2019 के कम में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में लागू वेतन संरचना में शिक्षा विभागान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को चयन/प्रोन्नत वेतनमान निर्धारण संबंधी शासनादेश- 655(1)माध्यमिक/2002 दिनांक 12.07.2002, संख्या 758/माध्यमिक/2002 दिनांक 23.09.2002 को अतिकमित करते हुए एवं शासनादेश संख्या 74/XXVII/(7)/2009 दिनांक 01.03.2009 में आंशिक रूप से संशोधित करते हुये सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नयी वेतन संरचना में शिक्षकों को चयन/प्रोन्नत वेतनमान निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

कम संख्या	श्रेणी	साधारण वेतनमान(वेतन मैट्रिक्स लेवल/ग्रेड वेतन)	चयन वेतनमान	प्रोन्नत वेतनमान
1	2	3	4	5
1	सहायक अध्यापक, प्राथमिक	स्तर-6 ग्रेड वेतन 4200/-	स्तर-7 ग्रेड वेतन 4600/-	स्तर-8 ग्रेड वेतन 4800/-
2	प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/ सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक	स्तर-7 ग्रेड वेतन 4600/-	स्तर-8 ग्रेड वेतन 4800/-	स्तर-9 ग्रेड वेतन 5400/-
4	प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक	स्तर-8 ग्रेड वेतन 4800/-	स्तर-10 ग्रेड वेतन 5400/-	स्तर-11 ग्रेड वेतन 6600/-
5	सहायक अध्यापक, एल0टी0	स्तर-7 ग्रेड वेतन 4600/-	स्तर-8 ग्रेड वेतन 4800/-	स्तर-9 ग्रेड वेतन 5400/-
6	प्रवक्ता	स्तर-8 ग्रेड वेतन 4800/-	स्तर-10 ग्रेड वेतन 5400/-	स्तर-11 ग्रेड वेतन 6600/-

2- चयन/प्रोन्नत वेतनमान का निम्नांकित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया जाऐगा:-

(क)-

1. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत् कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन

Scanned by CamScanner

वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

2. चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान संतोषजनक सेवा, कार्यकलाप आदि के अभिलेखीय आधार पर परीक्षणोपरान्त इसके निमित्त गठित स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें वित्त सेवा के अधिकारी भी सम्मिलित हो, की संस्तुति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
3. चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान का लाभ निर्धारित अवधि में प्रोन्नति न मिलने पर ही देय होगा।
4. यदि कोई शिक्षक चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस शिक्षक को अनुमन्य वित्तीय लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय लाभ अनुमन्य किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित शिक्षक द्वारा नियमित पदोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित शिक्षक को अनुमन्य किया गया चयन/प्रोन्नत वेतनमान वापिस नहीं लिया जायेगा। तथापि ऐसे शिक्षक को अगले चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह पदोन्नति लेने की लिखित सहमति नहीं देता उक्त स्थिति में अगले चयन/प्रोन्नत वेतनमान की देयता हेतु समयावधि की गणना में पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु लिखित सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
5. नियमित नियुक्ति से पूर्व शिक्षा मित्र/शिक्षा आचार्य/शिक्षा बन्धु/पी०टी०ए०/अंश कालिक शिक्षक/दैनिक वेतन/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन/कार्यप्रभारित/आदि के रूप में की गयी सेवा की गणना चयन/प्रोन्नत वेतनमान के लाभ हेतु नहीं की जायेगी।
6. नियमित शिक्षक द्वारा प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर की गयी सेवा अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत अध्ययन अवकाश एवं अन्य सभी प्रकार के अवकाशों की गणना चयन/प्रोन्नत वेतनमान के लाभ हेतु तत्समय की जायेगी।
7. असाधारण/अवैतनिक अवकाश की अवधि चयन/प्रोन्नत वेतनमान के लाभ हेतु गणना में नहीं ली जायेगी।
8. यदि चयन वेतनमान की स्वीकृति किसी भी कारण से स्थगित कर दी जाती है और शिक्षक को अनुपयुक्त होने अथवा विभागीय कार्यवाहियों के कारण 10 वर्ष के पश्चात भी किसी स्तर में चयन वेतनमान की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो इसका चयन/प्रोन्नत वेतनमान पर परिणामी प्रभाव होगा तथा पूर्व मे चयन वेतनमान में हुई देरी की अवधि के बराबर अवधि तक अगला लाभ स्थगित कर दिया जायेगा।
9. अनुशासनिक/शास्ति की कार्यवाहियों के मामले में चयन/प्रोन्नत वेतनमान के लाभ की अनुमन्यता साधारण पदोन्नति हेतु निर्धारित नियमों के अधीन होगी। अत: ऐसे मामले उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत विनियमित किये जायेंगे।
10. चयन/प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति केवल अगले उच्च स्तर पर वैयक्तिक वित्तीय लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु है और यह शिक्षक को वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति हेतु नहीं है।
11. चयन/प्रोन्नत वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ शिक्षक को विशुद्धत: वैयक्तिक रूप से दिया जायेगा और उसकी वरिष्ठता की स्थिति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। वरिष्ठ शिक्षक को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं दिया जायेगा कि कनिष्ठ शिक्षक ने चयन/प्रोन्नत वेतनमान मे उच्चतर स्तर का वेतन प्राप्त कर लिया है।
12. उपरोक्त प्रक्रिया राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगी।

Scanned by CamScanner

13. अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षकों को चयन/प्रोन्नत वेतनमान का लाभ अशासकीय विद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने की तिथि अथवा नियुक्ति तिथि, जो भी बाद में हो, से अनुमन्य किया जायेगा।

14. अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की असहायतित सेवायें चयन/प्रोन्नत वेतनमान हेतु गणना में नहीं ली जायेगी।

(ख) **चयन/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठनः-** चयन/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने सम्बन्धित मामलों पर विचार करने हेतु सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। स्क्रीनिंग कमेटी में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जो राजपत्रित होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में एक सदस्य वित्त सेवा का अधिकारी नामित किया जायेगा। यदि विभाग में वित्त सेवा का अधिकारी नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी किसी अन्य विभाग में नियुक्त वित्त सेवा के अधिकारी अथवा संबंधित जिले के वरिष्ठ मुख्य कोषाधिकारी को नामित कर सकते हैं। समिति के अन्य सदस्य ऐसे राजपत्रित अधिकारी होंगे, जो चयन/प्रोन्नत वेतनमान पर विचार किये जाने वाले स्तर से कम-से-कम एक स्तर ऊपर के पदधारण किये हुए हों। स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष आमतौर पर समिति के सदस्यों के वेतन स्तर से एक स्तर ऊपर का होना चाहिए। समिति के सदस्य के रूप में वित्त सेवा के अधिकारियों के नामांकन के सम्बन्ध में वेतन स्तर का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(ग) **चयन/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर वेतन निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:-**

1. चयन /प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में संबंधित शिक्षक का वेतन साधारण वेतनमान/चयन वेतनमान, जो भी स्थिति हो, में अगले प्रकम/अगली कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा। वेतनमान की तिथि अपरिवर्तित रहेगी।
2. चयन/प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षक की पदोन्नति यदि समान वेतनमान में होती है तो वेतन का निर्धारण प्राप्त वेतन स्तर में अनुमन्य कोष्ठिका से अगली कोष्ठिका में किया जायेगा। आगामी वेतन वृद्धि उन्हें पूर्व की भांति देय होगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या 296/XXVII(7)/2019 दिनांक 06.08.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)

सचिव

संख्या- 150 /XXIV-नवसृजित/2019-09(04)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, गढ़वाल /कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, आडिट निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)

उप सचिव।

Scanned by CamScanner